<u>सं.11.1(3)/2021-बै.एवं अनु.</u>

<u>भारत सरकार</u>

<u>संघ लोक सेवा आयोग</u>

<u>नई दिल्ली</u>

<u>ई-निविदा सूचना</u>

संघ लोक सेवा आयोग में बंदर नियंत्रक की तैनाती हेतू

रू. 20000/- (रूपये बीस हजार केवल) की धरोहर जमा राशि जमा करनी है ।

इच्छुक पार्टी संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट http://upsc.gov.in से विस्तृत निबंधन एवं शर्तों वाली निविदा को नि:शुल्क देख तथा डाउनलोड कर सकते है ।

<u>क्रिटिकल डेटशीट</u>

खुली निविदा सूचना	:	फा. सं.11.1(3)/2021-बै.एवं अनु.
संगठन का नाम	:	संघ लोक सेवा आयोग
जारी / प्रकाशन की तारीख	:	12.04.21 को 1700 बजे
दस्तावेज डाउललोड करने की प्रारंभिक तारीख	:	12.04.21 को 1730 बजे
दस्तावेज डाउललोड करने की अंतिम तारीख	:	27.04.21 को 1500 बजे
बोलिया प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	:	27.04.21 को 1500 बजे
बोलियां खोलने की तारीख	:	27.04.21 को 1600 बजे
पत्र व्यवहार का पता :	:	अवर सचिव (सामान्य- I), कमरा नं. 101, संघ लोक सेवा आयोग, आयोग सचिवालय भवन, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069
वेबसाइट	:	http://upsc.gov.in

(अनिल कुमार)

अवर सचिव, (सामा.- I)

संघ लोक सेवा आयोग

सं.11.1(3)/2021-बै.एवं अनु.

धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड

नई दिल्ली-110069

दिनांक : 09-04-2021

सेवा में,

विषय : सं.लो.से.आ. में बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर) की तैनाती के लिए निविदा आमंत्रण सूचना।

प्रिय महोदय,

सं.लो.से.आ. परिसर में आयोग भवन के तलों/टैरेस आदि सहित परिसर से बंदरों को भगाने के लिए बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर) की तैनाती के लिए सीलबंद कुंटेशन आमंत्रित की जाती है। कार्य क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस कार्यालय परिसर में किसी भी कार्य दिवस को 19.04.2021 से 20.04.2021 तक 3.00 बजे से 4.00 बजे के बीच टेलीफोन सं. 011-23388418 पर संपर्क किया जा सकता है ।

2. बोली, एक सील बंद लिफाफे में जिसके ऊपर मोटे अक्षरों में ''**सं.लो.से.आ. में दो बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर्स) की तैनाती के लिए बोली"** लिखा हो, श्री अनिल कुमार, अवर सचिव (सा.-I) के नाम से संबोधित हो और 27.04.2021 को 3.00 बजे अपराह्न तक इस कार्यालय के गेट ''सी'' के स्वागत कक्ष पर रखे निविदा बाक्स में डाल दें या पंजीकृत डाक से इस प्रकार भेजें कि यह निर्धारित तारीख तथा जमा करने के समय से पहले अधोहस्ताक्षरी के पास पहुंच जाए। उपर्युक्त तारीख को इस कार्यालय में अवकाश/बंद घोषित किए जाने की स्थिति में निविदाएं इस कार्यालय के अगले कार्य दिवस को निर्धारित समय पर प्राप्त की जाएगी तथा खोली जाएंगी।

3. निविदा आमंत्रण सूचना के साथ 20,000/- की जमा धरोहर राशि (ई.एम.डी.) डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर/बैंकर्स चेक/ एफ डी आर के रूप में हो, जो सचिव, सं.लो.से.आ. के पक्ष में दिल्ली/नई दिल्ली में देय हो, प्रस्तुत की जानी चाहिए।

4. सफल बोलीदाता को 'निष्पादन सुरक्षा राशि' के रूप में कुल संविदा लागत का 7% डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर/एफ.डी.आर. जो सचिव, सं.लो.से.आ. के पक्ष में देय हो, जमा करानी होगी। 'निष्पादन सुरक्षा राशि' सभी संविदात्मक बाध्यताओं के पूरे होने की तारीख से और आगे 60 दिनों की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए । तथापि, सफल बोलीदाताओं से निष्पादन सुरक्षा राशि प्राप्त होने पर जमा धरोहर राशि लौटा दी जाएगी।

5. निविदा आमंत्रण सूचना सायं 4 बजे को 27.04.2021. अधोहस्ताक्षरी के कमरे में बोलीदाताओं या उनके इच्छुक प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएगी।

6. **कार्य क्षेत्र** :

(i) बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर) संविदाकार, मासिक आधार (सप्ताह में 7 दिन) पर बंदरों को भगाने के लिए विशेष रूप से लंगूरों की आवाज निकालने की कला जानने वाले दो बंदर नियंत्रक, एक शिफ्ट I के लिए तथा दूसरा शिफ्ट II के लिए उपलब्ध कराएगा ।

(ii) बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर) की सेवाएं प्रदान करने का समय नीचे बनी तालिका के अनुसार होगा :

क्रम सं.	**शिफ्ट**	**तैनाती समय**
1.	**शिफ्ट 1**	कार्य दिवस के दौरान (सुबह 09.30 बजे से सांय 06.30 बजे तक)
2.	**शिफ्ट 2** **(दो स्लॉट में)**	(दो स्लॉट में) **स्लॉट-** I (सायं 06.30 बजे से रात 11.30 बजे तक) **स्लॉट-** II (सुबह 05.30 बजे से सुबह 09.30 बजे तक)

नोट : बंदर नियंत्रण संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि ड्यूटी पर तैनात बंदर नियंत्रक उस दिन कार्यालय से तभी जाएगा जब उसका चार्ज लेने वाला / रिलीवर ड्यूटी पर रिपोर्ट करेगा ।

(iii) संघ लोक सेवा आयोग परिसर में तैनात मंकी हैंडलर एम एम (बै.एवं.अनु.) अनुभाग (सोमवार से शुक्रवार तक) और शनिवार एवं रविवार/सरकारी अवकाश के दिन गेट नं. 2 पर अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा ।

(iv) बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर) संविदाकार के संतोषजनक सेवाएं प्रदान करने में असफल रहने पर और मंकी जोखिम को रोकने में असमर्थ होने के मामले में बिना किसी नोटिस के उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं ।

(v) बंदर नियंत्रण (मंकी हैंडलर) की तैनाती का पर्यवेक्षण मुख्य संपदा प्रबंधक एवं बैठक अधिकारी / वरिष्ठ संपदा प्रबंधक एवं बैठक अधिकारी/सुरक्षा अधिकारी, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा ।

(vi) बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर) संविदाकार या उसका कर्मचारी पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में निहित अनुदेशों के दृष्टिगत संघ लोक सेवा आयोग के परिसर से बन्दरों को भगाने/दूर रखने के लिए जिम्मेदार होगा ।

(vii) बंदर नियंत्रण (मंकी हैंडलर)संविदाकार आयोग में तैनात अपने कार्मिकों को बार-बार नहीं बदलेगा । बंदर नियंत्रण (मंकी हैंडलर) संविदाकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग में तैनात कार्मिक का मोबाइल नं. आयोग के सभी अनुभागों में परिचालित किया जाएगा ताकि वे आसानी से फोन पर सीधे बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर) से संपर्क कर सकें, यदि उनकी सेवाओं की किसी भी समय आवश्यकता हो। ड्यूटी पर तैनात बंदर नियंत्रण (मंकी हैंडलर) कार्मिक तत्काल कॉल का प्रत्युत्तर देगा और बिना विलंब के संबंधित अधिकारी की सहायता करेगा ।

(viii) बंदर नियंत्रण (मंकी हैंडलर)संविदाकार संविदा अवधि के दौरान बंदर नियंत्रण (मंकी हैंडलर) की किसी शारीरिक चोट के मामले में चिकित्सा सहायता की

व्यवस्था करेगा । आयोग द्वारा किसी प्रकार के अतिरिक्त व्यय को वहन नहीं किया जाएगा ।

(ix) कार्य के समय बंदर नियंत्रण (मंकी हैंडलर) को किसी प्रकार की चोट के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा ।

(x) बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर) संविदाकार का अनुबंध न्यूनतम एक वर्ष के लिए होगा । संविदा अपधि के दौरान बंदर नियंत्रक संविदाकार बिन्दु संख्या 6 (ii) के अनुसार दो बंदर नियंत्रक उपलब्ध कराएगा ।

<u>पात्रता मानदण्ड</u>

7. आवेदन करने वाली एजेंसी/संविदाकार के पास वैध आयकर पैन नं. होना चाहिए । पैन कार्ड की एक प्रति अनिवार्य रूप से बोली दस्तावेज के साथ संलग्न करनी होगी ।

8. आवेदन करने वाली एजेंसी/संविदाकार के पास आधार कार्ड होना चाहिए और इसकी एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए ।

9. एजेंसी/संविदाकार के पास न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का सरकारी मंत्रालयों/विभागों अथवा बड़े निजी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ऐसी सेवाएं प्रदान करने का अनुभव होना चाहिए । अनुभव प्रमाणपत्र की एक प्रति बोली दस्तावेज के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी ।

<u>जोखिम क्रय खंड</u>

10. यदि फर्म / संविदाकार बोली जमा होने और इसके विधिवत स्वीकार होने अर्थात् आदेश देने के बाद इन निविदा दस्तावेजों के निबन्धन और शर्तों के अनुपालन में विफल रहता है और/ अथवा नियत कार्यक्रम/सुपुर्दगी के अनुसार सेवाएं/आपूर्ति करने में असफल रहता है या किसी भी समय संविदा का परित्याग करता है तब सं.लो.से.आ. के पास जमा धरोहर राशि को जब्त करने, बोलीदाता द्वारा जमा की गई निष्पादन सुरक्षा राशि को भुनाने और आपूर्तिकर्ता के जोखिम और परिणाम पर अन्य एजेंसियों से सेवाएं

प्राप्त करने का अधिकार होगा । वैकल्पिक व्यवस्था और बोलीदाता की बोली मूल्य के बीच के लागत संबंधी अन्तर की वसूली अन्य आकस्मिक प्रभारों, करों और बीमा आदि के साथ बोलीदाता से की जाएगी । यदि सं.लो.से.आ. वैकल्पिक स्रोतों के जरिए सेवाएं / सामग्री प्रापण करने के लिए बाध्य हो जाता है और यदि लागत कम हो तब उसका लाभ बोलीदाता को नहीं दिया जाएगा ।

<u>सामान्य नियम</u>

11. संघ लोक सेवा आयोग परसिर में बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर) की तैनाती मुख्य संपदा प्रबंधक एवं बैठक अधिकारी / वरिष्ठ संपदा प्रबंधक एवं बैठक अधिकारी / सुरक्षा अधिकारी, संघ लोक सेवा आयोग के अनुदेश पर की जाएगी । कार्य दिवसों के दौरान सं.लो.से.आ. परिसर में तैनात बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर) एम एम अनुभाग में अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा ।   शनिवार / रविवार / सरकारी अवकाश के दिन वह अपनी उपस्थिति गेट सं. 2 पर अथवा संपदा प्रबंधक एवं बैठक अधिकारी / वरिष्ठ संपदा प्रबंधक एवं बैठक अधिकारी / सुरक्षा अधिकारी की सलाह के अनुसार करेगा ।

12. परीक्षा दिवसों, शनिवार, रविवार के दौरान सं.लो.से.आ. में बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर) की तैनाती निगरानी संपदा प्रबंधक एवं बैठक अधिकारी / वरिष्ठ संपदा प्रबंधक एवं बैठक   अधिकारी / सुरक्षा अधिकारी, सं.लो.से.आ. द्वारा की जाएगी । सुरक्षा अधिकारी की अनुपस्थिति में तैनात रात्रि ड्यूटी अधिकारी गेट नं. 2 पर बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर) की उपस्थिति का सत्यापन करेंगे ।

13. आयकर अधिनियम की धारा 194(सी) के निबंधन के अनुसार संविदाकार / एजेंसी से स्रोत से आयकर की कटौती की जाएगी ।

14. संविदा एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी और इसके आरंभ की तारीख सफल बोलीदाता/बोलीदाताओं को संविदा देने का पत्र जारी करने के सातवें दिन से होगी ।

15. यदि सक्षम प्राधिकारी चाहें तो संविदा को उसी दर, निबन्धन और शर्तों पर आगे और दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है बशर्ते फर्म / संविदाकार का कार्यनिष्पादन आयोग द्वारा संतोषजनक पाया जाता है।

<u>बोलियों का मूल्यांकन</u>

16. एजेंसी / संविदाकार नि.आ.सू. में उल्लिखित सभी कार्यों को <u>अनुलग्नक-</u> I में उद्धृत करेगा, एल- I फर्म के बारे में निर्णय, नि.आ.सू. में दोनों शिफ्टों के लिए उद्धृत समग्र दरों के आधार

पर किया जाएगा। दोंनों शिफ्टस के लिए दरें उद्धृत न करने वाली बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा । बोली, अनुबंध-11 में दी गई जांच सूची के अनुसार अपेक्षित दस्तावेजों द्वारा समर्थित होनी चाहिए । समर्थित दस्तावेजों के बिना प्राप्त होने वाली बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

17. एजेंसी/संविदाकार द्वारा उद्धृत दरें अन्य सरकारी संगठनों से इसी तरह की सेवाओं के लिए बोलीदाता द्वारा की गई दरों से अधिक नहीं होंगी । इस आशय का एक प्रमाणपत्र भुगतान हेतु प्रस्तुत बिलों में शामिल किया जाएगा ।

<u>भुगतान</u>

18. भुगतान, बिल की प्रस्तुति पर मासिक आधार पर किया जाएगा । किसी दिन अनुपस्थित होने की स्थिति में मासिक बिल से दी गई दर के आधार पर यथाअनुपातिक रूप से कटौती की जाएगी । बंदर नियंत्रण (मंकी हैंडलर) जोखिम से निपटने के लिए मासिक प्रभार वरिष्ठ संपदा प्रबन्धक एवं बैठक अधिकारी / सुरक्षा अधिकारी द्वारा जारी मासिक कार्य निष्पादन प्रमाणपत्र और प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत उपस्थिति के आधार पर जारी किया जाएगा ।

19. यदि यह पाया जाता है कि सेवाएं कार्यक्षेत्र के अनुसार और नि.आ.सू. में दिए गए निबन्धनों और शर्तों, निर्धारित अनुसूची के अनुसार नहीं दी जाती हैं या किसी भी समय पाया जाता है कि फर्म सं.लो.से.आ. के कहने के अनुसार अनुपालन नहीं कर रही

है तो सं.लो.से.आ. को नहीं दी गई सेवाओं के लिए एजेंसी/संविदाकार के बिल से भुगतान की कटौती करने का अधिकार होगा ।

20. किया गया कार्य आयोग से प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद आयोग के लिए संतोषप्रद होना चाहिए । ऐसा न होने पर उक्त संगत माह के कुल बिल से 10% की दर से कटौती की जाएगी। लापरवाही की गंभीरता को देखते हुए आयोग के पास एजेंसी को काली सूची में डालने और इसकी निष्पादन सुरक्षा राशि को जब्त करने का अधिकार सुरक्षित है ।

21. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के पास किसी निविदा को पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है । इस संबंध में सचिव, संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय अंतिम और फर्म पर बाध्यकारी होगा ।

22. उक्त कार्य सं.लो.से.आ. की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत व्यक्तियों/आपरेटरों द्वारा ही किया जाएगा । एजेंसी / संविदाकार प्राधिकृत कर्मचारियों की सूची उनके परिचय-पत्र के साथ अग्रिम रूप से आयोग को मुहैया कराएगा

23. निविदा का अनुमानित मूल्य 5.00 लाख रूपये है।

(अनिल कुमार)

अवर सचिव, (सामा.- I)

फोन नं. 011-23388418

अनुबंध-I

निविदा आमंत्रण सूचना

बंदर नियंत्रक (मंकी हेंडलर) की तैनाती के लिए

क्रम सं.	तैनाती का समय	मासिक समेकित दरें
1.	**शिफ्ट-1** (सुबह 09.30 बजे से सांय 06.30 बजे तक)	
2.	**शिफ्ट-2 (दो स्लॉट में)** स्लॉट-1 (सायं 06.30 बजे से रात 11.30 बजे तक) स्लॉट-2 (सुबह 05.30 बजे से सुबह 09.30 बजे तक)	
3.	कुल दर (दोनों शिफ्टों के लिए) (1+2)	

संविदाकार / एजेंसी के हस्ताक्षर ....

अनुबंध-II

जांच सूची

क्रम सं.	संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं
1.	रू. 20000/- की धरोहर जमा राशि	हॉ
2.	पेन कार्ड की प्रति	हॉ
3.	आधार कार्ड की प्रति	हॉ
4.	अनुभव प्रमाणपत्र की प्रति	हॉ
5.	बोली मूल्य (अनुबंध- I में)	हॉ